मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-12/2010/नियम/चार

प्रति,

भोपाल, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग/
आयुष विभाग/गृह विभाग/जेल विभाग/गैस राहत विभाग/वन विभाग/
सिंचाई विभाग/श्रम विभाग ।

विषय - राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर शासकीय अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस भत्ता (NPA) पुनरीक्षित दर से स्वीकृत करने बावत् ।

संदर्भ- सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 242/328/1/वेआप्र/97 दिनांक 10-3-97, आदेश क्रमांक एफ 4-1/1/वेआप्र/97 दिनांक 4-10-97 तथा आदेश क्रमांक 25/971/1/वेआप्र/98, दिनांक 11/13 जनवरी 1999.

—•••—

राज्य शासन के द्वारा चिकित्सकों की निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबन्ध के संबंध में समय-समय पर आदेश जारी कर अव्यवसायिक भत्ता स्वीकृत किया गया है ।

2/ राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुक्रम में वर्तमान में जिन चिकित्सकों को अव्यवसायिक भत्ते का भुगतान किया जा रहा है, को यह भत्ता मूल वेतन के 25% की दर से दिया जायेगा । यहाँ मूल वेतन से आशय निर्धारित वेतन बैण्ड में वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग से है ।

3/ लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों तथा चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस की छूट जिन शर्तों के अधीन दी गई है, उसका पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी की जावेगी ।

4/ अव्यावसायिक भत्ते की पात्रता के संबंध में पूर्व में जारी शर्तें यथावत रहेंगी तथा इस भत्ते की गणना का लाभ पूर्व शर्तों के तहत, मंहगाई भत्ते, गृह भाड़ा भत्ते तथा सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में भी लिया जायेगा । औसत उपलब्धियों की गणना हेतु राज्य शासन के अन्तर्गत मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम,1976 के नियम 30(4) में अव्यवसायिक भत्ते के संबंध में जो व्यवस्था है, वह यथावत लागू रहेगी ।

यह आदेश दिनांक 1-11-2011 से प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

PTO

पृष्ठा.क्रं. : एफ 11-12/2010/नियम/चार भोपाल, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

प्रतिलिपि,

1. सचिव, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
2. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
3. निज सचिव, मान. मंत्री/राज्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/गृह विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग/आयुष /श्रम/जेल/भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास, मध्यप्रदेश ।
4. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
6. संचालक, चिकित्सा सेवाएं, मध्यप्रदेश ।
7. संचालक, भारतीय चिकित्सा शिक्षा पद्धति एवं होम्योपैथी, मयप्रदेश ।
8. श्रमायुक्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश ।
9. महानिदेशक, पुलिस एवं जेल विभाग, भोपाल मध्यप्रदेश ।
10. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश ।
11. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।
12. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक काग्रवाही हेतु अग्रेषित ।

(डी.के.सक्सैना)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग